

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 50 / 25

जीसीएमएस : 2025 / 492

1. बलदेव सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह जाति जटसिख साकिन 58 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

बनाम

—:प्रार्थी

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।
2. गुरेन्द्र सिंह गिल पुत्र मुख्तयार सिंह जाति जटसिख साकिन 58 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. शाहबाज सिंह गिल पुत्र बलजिन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 58 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
4. गुरवीर सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख साकिन 58 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

—:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 14.10.2025

उपस्थित अधिवक्तागण:-

1. श्री राजाराम धारणिया प्रार्थी अधि।
2. श्री जगतपाल औलख अधि. अप्रार्थी सं. 2।
3. एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं. 3-4।

—निर्णय—

दिनांक:- 26.02.2026

1. प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मैं आपके उपखण्ड में कृषि भूमि धारण कर रहे खातेदारी अभिधारी हूँ और मैं मेरी कृषि जोत चक 58 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 54 के किला नं. 5 में डिग्गी बनी हुई है जिससे भूमिगत पाईप लाईन प्रार्थी के मु.नं. 33 की किला नं. 17 ता 24 में स्थित बाग व कृषि भूमि की सिंचाई सुविधा हेतु इसी चक 58 आर.बी. के मु.नं. 42 व 45 प्रत्येक के किला नं. 5-6-15-16 व 25 में से वाटर कोष (खाला के साथ साथ) 4 फुट गहरी डाली गई पाईप की स्वीकृति प्राप्त करने का आशय रखता हूँ, और इसलिए मैं राजस्थान अभिकृति अधिनियम 1955 का अधिनियम सं. 3 की धारा 251-क उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया है कि चक 58 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर के मु. नं. 42 प.नं. 169/262 में अप्रार्थी गुरेन्द्रसिंह गिल की 3.1625 है० व इसी मुरब्बा में अप्रार्थी शाहबाजसिंह गिल की 3.1625 है० नहरी मय खाला कृषि भूमि है व इसी चक के मु.नं. 45 प.नं. 169/263 में अप्रार्थी गुरवीरसिंह गिल की 6.3250 है। नहरी मय खाला भूमि है अप्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित नहरी मय खाला कृषि भूमि मु.नं. 42 व 45 प्रत्येक के किला नं. 5-6-15-16-25 में से वाटर कोष (पक्का खाला) के साथ साथ 4 फुट गहरी डाली गई पाईप लाईन की प्रार्थी को अहम आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थी की कृषि भूमि मु.नं. 54 के किला नं. 5 में डिग्गी बनी हुई है तथा मु.नं. 33 के किला नं. 17 ता 24 में प्रार्थी ने बाग लगा रखा है इसलिए प्रार्थी की डिग्गी व बाग/कृषि भूमि की सिंचाई सुविधा इसलिए वांछित पाईप लाईन की स्वीकृति दिये जाने में कोई आपत्ति भी नहीं है अतः चक 58 आर.बी. के मु.नं. 42 व 45 की नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रत्येक के किला नं. 5-6-15-16-25 में से वाटर कोष (पक्का खाला) के साथ साथ 4 फुट गहरी डाली गई पाईप लाईन की स्वीकृती फरमाई जावे। क्योंकि अप्रार्थीगण मुझ प्रार्थी द्वारा डाली गई 4 फुट गहरी पाईप लाईन को उखाड़कर खुर्द बुर्द करने की फिराक में है तथा इस बाबत उन्होंने प्रार्थी को धमकियां भी दी है कि 4 फुट गहरी डाली गई पाईप लाईन से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई



1

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

नुकसान नहीं होने वाला है। अगर अप्रार्थीगण प्रार्थी की पाईप लाईन को उखाड़ देते हैं या उसे खुर्द बुर्द कर देते हैं तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा अपूर्णिय क्षति होगी। उक्त पाईप लाईन हेतु माननीय न्यायालय कोई राशि जमा करवाने का आदेश देगा तो प्रार्थी राशि जमा न्यायालय करवा देगा।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अपार्थी संख्या 2 की तरफ से श्री जगतपाल औलख अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया है कि प्रार्थी भूमिगत पाईप की स्वीकृति विधिनुरूप व तकनीकी दृष्टि से पाने का कानूनन हकदार नहीं है। प्रार्थी अपनी भूमि वाके चक 58 आर.बी. के मुरब्बा नंबर 54 में स्थित डिग्गी, ट्यूबवेल व नहर का पानी पक्के सरकारी खाला के जरिये मुरब्बा नंबर 33 तक ले जाकर सिंचाई करता आ रहा है, जो तकनीकी दृष्टि से सरल, सुविधाजनक व बिना खर्च के हो रहा है। इसलिये प्रार्थी भूमिगत पाईप की स्वीकृत करवा पाने का विधिक अधिकारी नहीं होने से आवेदन प्रार्थी मौजूदा स्तर पर काबिल निरस्ती के है। पक्के खाला के साथ-साथ भूमिगत पाईप लाईन से पक्के खाला के क्षतिग्रस्त/टूटने से अप्रार्थीगण वा अन्य कारस्तकारो को भारी अपूर्णीय क्षति होने का अन्देशा बना रहेगा, जिस अपूर्णी क्षति की भरपाई मुद्राओं में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिये प्रार्थी भूमिगत पाईप की स्वीकृत करवा पाने का विधिक अधिकारी नहीं होने से आवेदन प्रार्थी मौजूदा स्तर पर काबिल निरस्ती के है अपार्थी अपनी भूमि वाके चक 58 आर.बी के मुरब्बा नंबर 42 के कि.नं. 1 ता 15/4 की कुल खाता योग 3.1625 है 0 नहरी में परम्परागत सिंचाई व खेती के अलावा नवाचार करते हुये बाग लगाना प्रस्तावित है ओर किला नंबर 6 में लाखों रूपये के खर्च से डेम (डिग्गी) बनाना प्रस्तावित है उपरोक्त स्थिति परिस्थिति में गहरी जुताई व खुदाई से भूमिगत पाईप के क्षतिग्रस्त हो जायेगी जिससे मिन अपार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई मुद्राओं में नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थी भूमिगत पाईप की स्वीकृत करवा पाने का विधिक अधिकारी नहीं होने से आवेदन प्रार्थी मौजूदा स्तर पर काबिल निरस्ती के है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को नाहक हेरान परेशान करने व बेजा नुकसान पहुंचाने के आशय से भूमिगत पाईप लाईन स्वीकृति चाही गई है ताकि प्रार्थी उसमें ट्यूबवेल का क्षारीय पानी छोड़कर अप्रार्थीगण की भूमि की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचा सकें। इसलिये प्रार्थी भूमिगत पाईप की स्वीकृत करवा पाने का विधिक अधिकारी नहीं होने से आवेदन प्रार्थी मौजूदा स्तर पर काबिल निरस्ती के है। अतः जबाव आवेदन मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि आवेदन प्रार्थी मौजूदा स्तर पर खारिज फरमाया जावें। अपार्थी संख्या 3 ता 4 के रजि. नोटिस से सूचना होने के उपरान्त न्यायालय में हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक/भूअ./2026/207 दिनांक 23.02.2026 से उक्त प्रकरण के संदर्भ में मौका जांच रिपोर्ट से अवगत करवाया है मुताबिक रिपोर्ट वाके चक 58 आरबी पं० 169/261 मु० न० 33 किला न० 17/2, 18 ता 24 की 1.898 है 0 नहरी मय बाग तथा पं० 170/264 मु० न० 53 किला नं० 2/1, 2/2, 9/1, 19, 20, 21, 22 की 0.861 है 0 नहरी मय खाला तथा पं० 169/264 मु० न० 54 किला न० 1 ता 25 की 5.125 है 0 नहरी मय खाला मय ट्यूबवेल इस प्रकार कुल 7.884 है 0 भूमि बलदेवसिंह पुत्र जगतारसिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। अप्रार्थीगण के नाम चक 58 आरबी पं० 169/262 मु० न० 42 के किला न० 11/2, 12/1, 13/2, 14/1, 15/6, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 कुल 3.1625 है 0 नहरी मय बाग मय खाला भूमि शाहबाजसिंह पुत्र बलजिन्द्रसिंह गिल जाति जटसिख साकिन देह तथा इसी मु० न० 42 के किला न० 1 ता 15/4 की कुल 3.1625 है 0 नहरी मय बाग मय खाला गुरदेवसिंह गिल पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख साकिन देह तथा पं० 169/263 मु० न० 45 किला न० 1 ता 25 कुल 6.325 है 0 नहरी मय खाला भूमि गुरवीरसिंह गिल पुत्र जगतारसिंह जाति जटसिख साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हैं। प्रार्थी अपने रकबे में सिंचाई सुविधा हेतु चक 58 आरबी के मु० न० 42 व 45 प्रत्येक के किला न० 5-6-15-16-25 में पक्के खाले के साथ-साथ पाईप

- लाईन डालने हेतु निवेदन किया है। अतः चक 58 आरबी के मु0न0 42 व 45 प्रत्येक के किला न0 5-6-15-16-25 में पक्के खाले के साथ-साथ पाईप लाईन डालने की स्वीकृति दी जानी उचित है।
4. बहस वकील उभपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दीराया एवं कथन किया कि प्रार्थी सिचाई हेतु चक 58 आरबी के मु0न0 42 व 45 प्रत्येक के किला न0 5-6-15-16-25 में पक्के खाले के साथ-साथ पूर्व में डाली गई पाईप लाईन की स्वीकृति प्रदान की जावे। यही से पाईप लाईन डालने से पानी कम समय में खेत में पहुंच सकता है। अन्य विकल्प से दूरी अधिक पडती हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर ने प्रस्तावित जगह की स्वीकृति देने में अपनी सहमति दी है। अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दीराया कि अप्रार्थी द्वारा मेरे को परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है पूर्व में प्रार्थी पक्के खाले से अपने सिचाई के लिए पानी अपने खेत में ले जा रहा है जो तकनीकी दृष्टि से सरल, सुविधाजनक व बिना खर्चा के हो रहा है इसलिए प्रार्थी भूमिगत पाईप की स्वीकृत करवा पाने का विधिक अधिकारी नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जाना खारिज किया जावे।
5. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एवं फर्द मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि चक 58 आरबी के मु0न0 42 व 45 प्रत्येक के किला न0 5-6-15-16-25 में पक्के खाले के साथ-साथ पाईप लाईन डालने की स्वीकृति दिया जाना उचित है यह कथन तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में अंकित है प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार रायसिंहनगर की जांच रिपोर्ट के तथ्यों के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 क स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 58 आरबी के प0न0 169/262 मु0न0 42 एवं प.नं. 169/263 मु.नं. 45 प्रत्येक के कि. नं. 5-6-15-16-25 प्रत्येक में पक्के खाले के साथ-साथ पूर्व में डाली पाईप लाईन की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि तहसीलदार रायसिंहनगर पाईप लाईन डालने में उपयोग हुई भूमि की डीएलसी दर का 10 प्रतिशत राशि प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को भुगतान करने के बाद आदेश की पालना करे। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो, पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय दिनांक 26.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला रायसिंहनगर राजस्थान

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला रायसिंहनगर राजस्थान